

FORM NO. III

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

अशोक भीणा पुत्र जगदीश प्रसाद भीणा जाति भीणा बगाम आशा कुमारी भीणा पत्नि महेन्द्र भीणा जाति भीणा वर्ग, सा. लूणवां तह. नावां सा. लूणवां तह. नावां

किस्म मुकदमा : 53 आरटीए

मुकदमा नम्बर : 226/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
01.07.2024	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणराम जाट ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 04.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p> <p> ५/७/२४ मुकदमा नम्बर ५५०। प्रतिवादी १ ता ३ की ओर से अशोक भीणा श्री श्रवणराम जाट ने अहकाम की जवाब पत्र मांडल के पेश किया। अहकाम वाद पत्र में प्रकृत नजदी नम्बर ५५० के विभाजन कलमों से सहमत। बहस चुकी गई। निर्णय पत्रक से लिखा जाकर सारे इजलास पत्रावली जमा पत्रावली केसल शुभा होकर नम्बर से कम हो व दायित्व रूपत है। </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>	

